भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2888**

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

21 फाल्गुन, 1941 (शक)

## आधार डेटाबेस

**2888. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार डेटा में दोनों, कोर बायोमेट्रिक जानकारियां और अन्य जनसांख्यिकीय जानकारियां होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आधार डेटा बेस से डेटा चोरी, कोर बायोमेट्रिक और अन्य जनसांख्यिकी डेटा सहित, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या आधार जनसांख्यिकी डेटा की चोरी नागरिकों के लिए हानिकारक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

**(क)** : आधार अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक नामांकन की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपनी जनसांख्यकीय और बॉयोमेट्रिक सूचना प्रस्तुत कर आधार संख्या प्राप्त करने का पात्र होगा। आधार के नामांकन के दौरान आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 3, 4 और 5 के अनुसार केवल निम्नलिखित न्यूनतम सूचना एकत्र की जाती है :

1. बॉयोमेट्रिक सूचना – (i) चेहरे का फोटोग्राफ (ii) सभी 10 उंगलियों के फिंगर प्रिंट और (iii) दोनों आंखों की पुतलियों की स्कैन इमेज
2. जनसांख्कीय सूचना – (i) नाम (ii) जन्मतिथि (iii) लिंग (iv) आवासीय पता (v) मोबाइल नम्बर (वैकल्पिक) और ई-मेल पता (वैकल्पिक)

**(ख), (ग) और (घ)** : आधार के डेटाबेस (केंद्रीय पहचान डेटा कोश) से डेटा के उल्लंघन की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। आधार डेटा केंद्रों की सुरक्षा के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की अच्छी प्रकार से डिजाइन की गई बहुपरतीय सुदृढ़ प्रणाली है तथा इसका सतत रूप से दर्जा बढ़ाया जा रहा है ताकि डेटा सुरक्षा और निष्ठा के उच्चतम स्तर को कायम रखा जा सके। आधार पारिप्रणाली की वास्तुकला का डिजाइन सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है जो आरंभिक डिजाइन से लेकर अंतिम चरण तक प्रणाली का एक एकीकृत भाग है।

व्यापक सूचना सुरक्षा नीतियां और कार्य नीतियां निर्धारित की गई हैं और इनकी सतत रूप से समीक्षा की जाती है और इन्हें अद्यतन किया जाता है, इस प्रकार यूआईडीएआई परिसर के अंदर और बाहर लोगों, सामग्री और डेटा विशेष रूप से डेटा केंद्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर समुचित रूप से नियंत्रण और निगरानी रखी जाती है।

यूआईडीएआई डेटा प्रत्येक समय अर्थात स्थिर अवस्था, पारगमन और भंडारण में पूर्णतया सुरक्षित/एनक्रिप्टिड है। सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षण नियमित आधार पर किए जाते हैं।

इसके अलावा, यूआईडीएआई डेटा केंद्रों में वास्तविक स्तर पर सुरक्षा की विभिन्न परतें हैं तथा इसका प्रबंधन प्रत्येक समय सीआईएसएफ के कार्मिकों द्वारा किया जाता है।

आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और बाद में आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019, जिसमें अपराधियों के लिए कठोर शास्ति/दंड का प्रावधान है, के अधिनियमित होने से आधार पारिप्रणाली की सुरक्षा की स्थिति और सुदृढ़ हुई है।

यूआईडीएआई को सूचना और सुरक्षा की दृष्टि से आईएसओ 27001:2013 से प्रमाणित घोषित किया गया है जिसमें आईटी सुरक्षा आश्वासन की स्थिति में एक अन्य परत शामिल हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 की उपधारा (I) के अनुसरण में यूआईडीएआई को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र द्वारा एक संरक्षित प्रणाली के रूप में भी घोषित किया गया है।

आधार डेटाबेस में केवल नामांकन के समय नागरिक द्वारा दी गई और आवश्यकतानुसार अद्यतन की गई न्यूनतम सूचना निहित है। आधार डेटाबेस में बैंक खाते, शेयर, म्यूच्युअल फंड, वित्तीय और संपत्ति संबंधी विवरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, परिवार, जाति, धर्म, शिक्षा इत्यादि से संबंधित कोई सूचना भण्डारित नहीं की जाती है।

******